

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला**  
**जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 280 / 11

संस्थापन दिनांक:-19 / 09 / 11

फाईलिंग नं. 233504000122011

मध्यप्रदेश राज्य  
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,  
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

**वि रु द्ध**

बटनू पिता घुम्मा यादव,  
 उम्र 60 वर्ष, निवासी बोचनवाड़ी,  
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

**:- (नि र्ण य ) :-**

**(आज दिनांक 28.03.2017 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 304-ए भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 10.07.2011 को समय 09:30 बजे ग्राम बोचनवाड़ी स्थित उसका खेत थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत बिजली के कटे फटे तार को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक तरीके से गन्ना बाड़ी में लगाया जिससे करंट लगने से मृतक कैलाश की ऐसी मृत्यु हुई जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 10.07.2011 को थाना आमला में अस्पताल से प्राप्त तहरीर के आधार पर मार्ग क्र. 47/11 पंजीबद्ध कर शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। जांच उपरांत अभियुक्त बटनू यादव के खेत में लगे विद्युत तार से करंट लगने से मृतक कैलाश की मृत्यु होना पाया गया। उक्त विद्युत तार जमीन पर पड़े थे तथा जगह-जगह से फटे थे। मार्ग की जांच उपरांत घटना अभियुक्त बटनू की लापरवाही से घटित होना पायी गयी। तत्पश्चात अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 245/11 अंतर्गत धारा 304-ए भा.दं.सं. पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। घटना स्थल से एक लड़की के तख्ते में लगा स्टार्टर जिस पर तीन पीन कटआउट एवं करीब 15 फिट वायर जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 10.07.2011 को समय 09:30 बजे ग्राम बोचनवाड़ी स्थित उसका खेत थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत बिजली के कटे फटे तार को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक तरीके से गन्ना बाड़ी में लगाया जिससे करंट लगने से मृतक कैलाश की ऐसी मृत्यु हुई जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती ?

2. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

### ॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

#### **विचारणीय प्रश्न क. 01 का सकारण निष्कर्ष**

5 मुरारीलाल (अ.सा.-3), मदनलाल (अ.सा.-4), पप्पू (अ.सा.-5), किशोर (अ.सा.-6) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि वे अभियुक्त बटनू को जानते हैं। घटना ग्राम बोचनवाड़ी की अभियुक्त बटनू के खेत की सुबह के समय लगभग 8-9 बजे की है। मृतक कैलाश घटना के समय जानवर चराने के लिए गया था। उन्हें ये सूचना मिली थी कि कैलाश को करंट लग गया है। मदनलाल (अ.सा.-4) ने यह बताया है कि जब वह मौके पर पहुंचा था तो देखा कि अभियुक्त बटनू की सर्विस लाईन जो नीचे से थी उससे उसके भाई कैलाश को करंट लग गया था। अभियुक्त बटनू के लड़के कांति ने कैलाश को करंट से निकाला था और वह अपने भाई कैलाश को लेकर अस्पताल आया था जहां कैलाश की मृत्यु हो गयी थी।

6 पप्पू (अ.सा.-5) ने यह बताया है कि जब वह मौके पर पहुंचा था तो देखा था कि कैलाश अभियुक्त के खेत पर बेहोशी की हालत पर डला था और उसे यह पता चला था कि मोटर पम्प के तार से कैलाश को करंट लग गया था और उसने मौके पर देखा था कि जो बिजली के तार थे वे अभियुक्त बटनू के खेत से ले जाये गये थे और कई जगह से कटे हुए थे। किशोर (अ.सा.-6) ने यह भी बताया है कि जब वह सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचा था तो देखा कि कैलाश अभियुक्त बटनू के खेत पर बेहोशी की हालत पर पड़ा हुआ था और फिर सब लोगों ने कैलाश को उठाया और गाड़ी से अस्पताल लेकर आये थे। मुरारीलाल (अ.सा.-3) एवं मदनलाल (अ.सा.-4) ने यह भी बताया है कि

अस्पताल में कैलाश के ईलाज की लिखापढ़ी हुई थी जो कि प्रदर्श पी-4 है जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं।

7 मनोहरी (अ.सा.-2) ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है और अपने समक्ष जप्ती से भी इनकार किया है। नीतेश बचले (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 10.07.2011 को सीएचसी आमला में ओटी असिस्टेंट के पद पर पदस्थ रहते हुए डॉ. चौरिया द्वारा दी लिखित तहरीद (प्रदर्श पी-1) दिये जाने पर उक्त तहरीरी को थाना आमला में दिया जाना तथा उक्त तहरीर के आधार पर थाना आमला में मार्गइंटीमेशन (प्रदर्श पी-2) लेखबद्ध किया जाना बताया है।

8 सरजेराव भोंसले (अ.सा.-8) ने दिनांक 10.07.2011 को थाना आमला में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए मार्ग इंटीमेशन क्र. 47/11 की जांच के दौरान घटना स्थल पर जाकर मौका नक्शा (प्रदर्श पी-7) एवं मार्ग जांच उपरांत अपराध क्र. 245/11 में (प्रदर्श पी-10) का प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध किया जाना तथा घटना स्थल से एक लकड़ी का तख्ता जिसमें एक स्टार्टर, चीनी का कटाउट व इलेक्ट्रिक वायर जप्त कर (प्रदर्श पी-3) का जप्ती पत्रक तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उपर्युक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित भी किया है।

9 डॉ. बीपी चौरिया (अ.सा.-9) ने अपने न्यायालयीन कथनों में प्रकट किया है कि वह दिनांक 10.07.2011 को सीएचसी आमला में मेडिकल आफिसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसने मृतक कैलाश के शव का परीक्षण किया था जिस पर मृतक के बांये हाथ के पीछे तरफ था ड्राय बर्न था और जले हुए भाग के आसपास की चमड़ी काली थी एवं मृतक की दाहिने चौथी अंगुली के नीचे वाले पौर पर ड्राय बर्न था तथा मृतक के दाहिने पैर के अंदर की तरफ 1 गुणा 1 सेमी. आकार का एवं मृतक की निप्पल के अंदर की तरफ 2 गुणा 1 सेमी. आकार का ड्राय बर्न था। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि मृतक के सभी घाव सुपरफीशियल थे और जलने का कारण इलेक्ट्रिक करंट था। साक्षी के अनुसार आंतरिक परीक्षण के दौरान मृतक के मस्तिष्क पर खून के धब्बे, दाहिना फेफड़ा कई जगह से फटा हुआ एवं खून निकल रहा था, बाया फेफड़ा कंजस्टेड था एवं पेट और छोटी आंत खाली थी। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि मृतक की मृत्यु का कारण इलेक्ट्रिक करंट की वजह से शॉक था। साक्षी ने उसके द्वारा दी गयी शव परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी-11) को प्रमाणित भी किया है।

10 साक्षी एस.एल. साहू (अ.सा.-7) ने अपने न्यायालयीन कथनों में दिनांक 15.09.2011 को बोड़खी चौकी थाना आमला में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क्र. 245/11 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त

होने पर दिनांक 16.09.2011 को गिरफ्तार कर (प्रदर्श पी-6) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना प्रकट किया है।

11 अभियुक्त की ओर से इस तथ्य को कोई चुनौती नहीं दी गयी है कि मृतक कैलाश की करंट लगने से मृत्यु हुई थी। साथ ही अभिलेख पर उपलब्ध साक्षी मुरारीलाल (अ.सा.-3), मदनलाल (अ.सा.-4), पप्पू (अ.सा.-5), किशोर (अ.सा.-6) एवं डॉक्टर साक्षी बी.पी. चौरिया (अ.सा.-9) की साक्ष्य से मृतक कैलाश की करंट लगने से मृत्यु होना प्रमाणित पाया जाता है।

12 **बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि** प्रकरण में किसी भी साक्षी ने अभियुक्त बटनू के द्वारा उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक कृत्य किये जाने के संबंध में कथन नहीं किये हैं। साथ ही साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन भी नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन कथा में उत्पन्न संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जावे। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

13 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में साक्षी मुरारीलाल (अ.सा.-3), मदनलाल (अ.सा.-4), पप्पू (अ.सा.-5), किशोर (अ.सा.-6) ने न्यायालयीन परीक्षण में मृतक कैलाश की करंट लगने से मृत्यु हो जाना बताया है। उपर्युक्त साक्षीगण ने यह भी बताया है कि अभियुक्त बटनू के खेत पर खुले तार डले थे जिस वजह से कैलाश को करंट लग गया था। **मुरारीलाल (अ.सा.-3)** ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 02 में यह बताया है कि उसने अभियुक्त बटनू को खुले तार लगाते नहीं देखा था परंतु यह बताया है कि उसके भाई की करंट लगने से मृत्यु हुई थी। **मदनलाल (अ.सा.-4)** ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसे बाद में ये जानकारी हुई थी कि कैलाश की करंट लगने से मृत्यु हुई है। साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया है कि उसने अभियुक्त बटनू को खुले तार लगाते नहीं देखा था परंतु इसी पैरा में साक्षी ने यह बताया है कि अभियुक्त बटनू की जो सर्विस लाईन आ रही थी वह खुली हुई थी परंतु सुझाव दिये जाने पर साक्षी ने यह भी बताया है कि सर्विस लाईन विद्युत विभाग के कर्मचारी लगाते हैं उसने अभियुक्त बटनू को खुला तार लगाते नहीं देखा था। **पप्पू (अ.सा.-5) एवं किशोर (अ.सा.-6)** ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उन्हें नहीं पता कि करंट किस तरह से कैलाश को लगा था। उसे केवल इतना मालूम चला था कि कैलाश की करंट से मृत्यु हो गयी है।

14 सरजेराव भौसले (अ.सा.-8) ने मर्ग इंटीमेशन प्राप्त होने पर मर्ग जांच हेतु मौके पर जाना तथा घटना स्थल से लकड़ी का तख्ता, स्टार्टर, चीनी का कटआउट व इलेक्ट्रिक वायर गवाहों के समक्ष जप्त किया जाना बताया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि मर्ग जांच के दौरान किसी ने भी यह नहीं बताया था कि बिजली के तार बटनू ने लगाये थे। प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र.

04 में साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया है कि जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-3) में कटे वायर जप्त किये गये हो ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। स्वतः में साक्षी ने कहा है कि 15 फिट केबल जप्त की गयी थी।

15 एस.एल. साहू (अ.सा.-7) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसे संपूर्ण विवेचना के दौरान ऐसी कोई साक्ष्य नहीं मिली थी कि अभियुक्त बटनू ने बिजली का तार बाड़ी में लगाया था। पैरा क. 02 में ही साक्षी ने यह भी बताया है कि उसके द्वारा जब नक्शा पंचायतनामा (प्रदर्श पी-4) तैयार किया जा रहा था तब भी उपर्युक्त दस्तावेज के गवाहों ने उसे यह नहीं बताया था कि मृतक कैलाश की मृत्यु अभियुक्त बटनू के द्वारा बिजली का तार खेत में लगा देने से करंट फैलने के कारण हुई थी। साक्षी ने यह भी बताया है कि जांच के दौरान उसने विद्युत से संबंधित कोई तार एवं अन्य उपकरण जप्त नहीं किये थे। साक्षी ने यह भी सही होना बताया है कि जांच के दौरान यह बात सामने आयी थी कि अभियुक्त बटनू के खेत की गन्ना बाड़ी में करंट लगने से कैलाश की मृत्यु हुई थी।

16 साक्षी मुरारीलाल (अ.सा.-3) ने परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त बटनू ने जमीन में मोटर चलाने के लिए खुले तार डाले थे। मदनलाल (अ.सा.-4) ने भी परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त बटनू की सर्विस लाईन खराब थी, कवर जला हुआ था और नीचे से डली थी जिससे मृतक कैलाश को करंट लग गया था। पप्पू (अ.सा.-5) ने परीक्षण में यह बताया है कि जब वह मौके पर पहुंचा था तो उसने देखा कि बिजली के तार अभियुक्त बटनू के खेत पर नीचे से ले जाये गये थे और कई जगह से कटे हुए थे परंतु प्रतिपरीक्षण में साक्षी मुरारीलाल (अ.सा.-3) एवं मदनलाल (अ.सा.-4) ने पैरा क. 02 में यह बताया है कि उसने घटना नहीं देखी थी और न ही उसने अभियुक्त बटनू को खुले तार लगाते हुए देखा था। साक्षी मुरारीलाल (अ.सा.-3) ने यह भी बताया है कि घटना के समय अभियुक्त बटनू मौके पर नहीं था।

17 पप्पू (अ.सा.-5) ने प्रतिपरीक्षण में घटना के संबंध में कोई भी जानकारी न होना बताया है। इस प्रकार साक्षी पप्पू ने अपने मुख्य परीक्षण से विरोधाभासी कथन प्रतिपरीक्षण में किये हैं जिससे इस साक्षी के कथनों पर विश्वास किया जाना सुरक्षित प्रतीत नहीं होता है।

18 सरजेराव भौसले (अ.सा.-8) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि उसे मर्ग इंटीमेशन दिनांक 10.07.2011 को प्राप्त हुआ था तथा साक्षी ने यह भी बताया है कि उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-10) दिनांक 14.09.2011 को लेख की गयी है। मर्ग इंटीमेशन प्राप्त होने के दो माह बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख किये जाने का कोई व्यक्तिगत स्पष्टीकरण अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण

में यह भी बताया है कि उसे मर्ग जांच के दौरान किसी ने भी यह नहीं बताया था कि अभियुक्त बटनू के द्वारा बिजली के तार लगाये गये थे। नक्शा मौका (प्रदर्श पी-7) के अवलोकन से भी यह प्रकट नहीं हो रहा है कि अभियुक्त बटनू के खेत पर नीचे से तार ले जाये गये हों। अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह प्रकट हो कि किसी ने भी अभियुक्त बटनू को खेत पर तार लगाते हुए देखा हो या घटना के समय उसे मौके पर उपस्थित देखा हो। परिस्थिति अन्य साक्ष्य भी इस तथ्य की ओर इंगित नहीं करती है कि अभियुक्त बटनू घटना दिनांक को मौके पर उपस्थित था और उसने अपने खेत पर मोटर पम्प से तार डाले थे। इस प्रकार उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि घटना दिनांक को अभियुक्त ने खेत पर खुले तार डालकर उपेक्षा या उतावलेपन से कार्य किया। संभवतः यह प्रकट हो रहा है कि अभियोजन ने मात्र जिस खेत में करंट लगने से मृतक कैलाश की मृत्यु हुई वह खेत अभियुक्त बटनू के नाम पर होने के कारण उसे अभियुक्त बनाकर उसके विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया है।

19 भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ए के अधीन दंडनीय अपराध प्रमाणित करने के लिए यह आवश्यक है कि मृतक की मृत्यु का कारण अभियुक्त के उतावलेपन व उपेक्षापूर्ण आचरण का प्रत्यक्ष परिणाम हो, न कि दूरस्थ। माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **B.P. Ram Vs State of M.P. 1991 Cri.L.J. 473(MP)** में निम्न शब्दों में परिभाषित किया गया है :-

"The rash or negligent act means the act which is the immediate cause of death and not any act or omission, which can at most be said to be a remote cause of death. to render a person liable for neglect of duty there must be such a degree of culpability as to amount to gross negligence on his part. it is not every little trip of mistake that will make a man so liable."

20 इस प्रकार अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियोजन अभियुक्त की घटना दिनांक को मौके पर उपस्थिति एवं उसके द्वारा खेत पर खुले तार डालकर उपेक्षा एवं उतावलेपन कृत्य को प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है। ऐसी दशा में अभियुक्त दोषमुक्ति का पात्र है।

### **विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण**

21 उपर्युक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 10.07.2011 को समय 09:30 बजे ग्राम बोचनवाड़ी स्थित उसका खेत थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत बिजली के कटे फटे तार को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक तरीके से गन्ना बाड़ी में लगाया जिससे करंट लगने से मृतक कैलाश की ऐसी मृत्यु हुई जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती। फलतः अभियुक्त

बटनू को भारतीय दंड संहिता की धारा 304—ए के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

22 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

23 प्रकरण में जप्तशुदा एक लड़की के तख्ते में लगा स्टार्टर, तीन पीन कटआउट एवं करीब 15 फिट वायर अपील अवधि पश्चात नष्ट किये जावे। अपील होने की दशा में अपीलीय माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार व्ययन की जावे।

24 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)